

दिनांक 28.06.2018

अपीलान्ट के वकील उप0। वकील अपीलान्ट द्वारा दिनांक 18.06.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शामिल मिसिल किया गया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया, अपीलान्ट ने अंकित किया है कि regular suit दादरसी प्राप्त हो चुकी है। इसलिए अपील को इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। चूकि अपीलान्ट अपने अपील को आगे चलाना नहीं चाहते है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन अपील को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो।



जिला कलक्टर  
भरतपुर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official